श्री संजय कुमार,अग्रवाल,भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2016 को सम्पन्न विकास एवं अन्य कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– यथा संधारित

समीक्षा के बिन्दु	दिये गये निदेश
प्रेरणा कोषांग	• सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रखण्ड में 5 स्कूल को आदर्शवादी केन्द्र कम से कम एक गाँव,महादलित एक या दो टोला,सरकारी भवन का चयन करें। (अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी,प्रेरणा कोषांग/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)
आर0टी0पी0एस0 कोषांग	• सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता अपने प्रखण्ड/अंचल के आर.टी.पी.एस. काउन्टर का निरीक्षण प्रत्येक माह में दो बार करने का निदेश दिया गया। आवंछित लोगों को गिरफ्तार करने एवं काउन्टरों के सौदर्यीकरण/ व्यवस्थिीकरण करने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पाधिकारियों को दिया गया। (अनुपालन–सभी अनुमण्डल पदाध्किाकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/जिला के आर.टी.पी.एस प्रभारी पदाधिकारी)
वाटसएप ग्रुप	• आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया गया कि जिस दिन वाट्सएप पर उपस्थिति का प्रतिवेदन प्रखण्ड से प्राप्त नहीं होता है वहाँ के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उस दिनका वेतन रोकने का प्रतिवेदन दें। (अनुपालन–आई.टी. मैनेजर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)
जिला कल्याण शाखा	• सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को दिनांक 10.02.16 तक विकास मित्रों की रिक्ति निकाल कर दिनांक 15.03.16 तक रिक्तियों को भरने का निदेश दिया गया। विकास मित्र कार्य छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं उनके वर्खास्तगी का प्रस्ताव देने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। (अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)
जिला कृषि कार्यालय	• जिला कृषि पदाधिकारी को अपने विभाग के कार्यो का ठीक ढंग से अनुश्रवण नहीं करने कृषि के मामले लंबित रहने के कारण उनके विरुद्ध विभाग को प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। • सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर किसानों के बीच डीजल अनुदान बाँटने का निदेश दिया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि उनके प्रखण्डों में खेती नहीं होती है अथवा अनुदान की राशि का वितरण लाभुकों के बीच कर दिया गया है और अब उन्हें और अनुदान की राशि की आवश्यकता नहीं है तो इन सभी का प्रमाण पत्र देते हुए बची हुई राशि को वापस कर दें। (अनुपालन–उप विकास आयुक्त,जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

जनगणना	• अतिरिक्त परिवारों की जनगणना का सार 31 जनवरी 2016 तक भेजना था। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जनगणना से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र भेजे। • प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि धर–धर जाकर बेटियों/बहुओं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उनका मतदाता सूची में 22 फरवरी तक नाम जोड़े जाए, ताकि 11 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सके। (अनुपालन–जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी प्र0,वि0,पदा0)
पंचायत चुनाव/ पंचायत सरकार भवन	• प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके प्रखण्ड में कितने मतदान केन्द्र है और कितने मतदान केन्द्रों किन कारणों से बदले गये अथवा किस कारण से बढ़े हैं, बुथ नाम के साथ प्रमाण पत्र देने तथा 3–4 दिनों में पंचायत निर्वाचन कोषांग बनाकर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। • सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक वार्ड में एक बुथ हो। बुथ की स्थिति/सहायक मतदान केन्द्र की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजें। • जिन प्रखण्डों से प्रारुप प्रकाशन प्राप्त नहीं हुए है उन्हें शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया। • मतदान केन्द्र/सहायक मतदान केन्द्र के अनुसार अधिकतम 10% की बढ़ोत्तरी कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया ताकि उसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग से मतपेटिका की मॉग की जा सके। • उप विकास आयुक्त,पटना को मतपेटियो की मरम्मती के लिए संबंधित एजेन्सियों से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया। • प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को 14वें ग्राम वित्त आयोग के सभी पंचायत का एकाउन्ट संख्या सी.डी. में भेजने का निदेश दिया गया। • पंचायत में चलने वाली योजना/पंचायत की मानदेय राशि से संबंधित ए.जी. का अंकेक्षण प्रतिवेदन के आपत्ति का अनुपालन प्रतिवेदन सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पॉच दिनों के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया। • सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया,ताकि जिला स्तर से सरकार को प्रतिवेदनभेजा जा सके। कलस्टर के संबंध में सरकार द्वारा अधतन गाईड लाईन सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजने का निदेश उप विकास आयुक्त,पटना को दिया गया। (अनुपालन–उप विकास आयुक्त/जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)
जन शिकायत	• लंबित जन शिकायत के मामलों के निष्पादन पर बल देते हुए लंबित मामलों को इस माह में निष्पादन कर आवेदक को सूचना

	देते हुए जिला कार्यालय को भेजने का निदेश दिया गया। (अनुपालन– सभी वरीय उपसमाहर्ता/जिला जन शिकायत कोषांग/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)
विधि शाखा	• मसौढ़ी, बिक्रम, बिहटा, बाढ़ एवं जिला कृषि पदाधिकारी से लंबित वादों में ओथ नहीं करने के लिए कारण पृच्छा की मॉग का निदेश दिया गया। • प्रभारी पदाधिकारी,विधि शाखा को लंबित वादों से संबंधित अलग से कार्यवाही तैयार करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन–जिला कृषि पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी,विधि शाखा एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)
जिला बाल संरक्षण इकाई	• सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को लंबित आवेदन पत्रों को जिला बाल संरक्षण कार्यालय में भेजने का निदेश दिया गया, ताकि उन्हें निर्धारित प्रोत्साहन राशि दिया जा सके। (अनुपालन–जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन	• सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दस लाख रुपये स्थानान्तरित करने एवं पंचायत सेवक को इस योजना के अन्तर्गत जो रुपये दिये गये है उनसे वापस लेने का निदेश दिया गया। (अनुपालन–जिला योजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)
डी0आर0डी0ए0	• वर्ष 15–16 का इंदिरा आवास का लक्ष्य बताते हुए डेढ़ माह में लक्ष्य प्राप्ति कर बैलेन्स शून्य करने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया गया। • इंदिरा आवास के लिये जिन प्रखण्डों में राशि उपलब्ध नहीं है वहॉ के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को राशि की मॉग करने का निदेश दिया गया। • उप विकास आयुक्त,पटना को राशि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। (अनुपालन–उप विकास आयुक्त एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)
जिला प्रोग्राम कार्यालय	• सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने एवं लंबित विपत्रों का संबंधित कोषागार पदाधिकारी से सम्पर्क कर पास कराने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने का निदेश दिया गया। (अनुपालन–सभी कोषागार पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन डाटा	• सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को इस योजना के अन्तर्गत लाभुकों का आधार एवं मोबाईल नम्बर अंकित करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन–सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

अन्यान्य	• जिला कृषि पदाधिकारी को इस योजना के अन्तर्गत जिला कृषि पदाधिकारी को वख्तियारपुर प्रखण्ड में एक बी.ई.ओ. की पदस्थापना करने का निदेश दिया गया। • सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय संवर्ग के कर्मी का अलग से उपस्थिति पंजी संधारित करने एवं उनसे प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने का निदेश दिया गया। वेहतर कार्य करने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुल्हिनबाजार, पण्डारक, फतुहाँ एवं सम्पतचक को सम्मानित किया गया।

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 552 /पटना,दिनांक 02.03.16

प्रतिलिपिः— सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्डों के नोडल पदाधिकारी पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई.टी. प्रबंधक,पटना को सूचनार्थ एवं बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच)/उप विकास आयुक्त/निदेशक, लेखा प्रशासन/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंसख्यक कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सुश्री उदिता सिंह,भा0 प्र0से0,सहायक समाहर्ता—सह—सहायक दण्डाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 552 /पटना,दिनांक 02.03.16 /

प्रतिलिपिः— आयुक्त पटना प्रमण्डल,पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।